धीरेंद्र शास्त्री के भाई साथी सहित गिरफ्तार, जमानत

धीरज चतुर्वेदी
छतरपुर,2 मार्च।

गुरुवार को छतरपुर थाना की बमीठा थाना पुलिस ने बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री के फरार भाई सालिग्राम को उनके साथी जीतू तिवारी सहित गिरफ्तार कर दिया। आरोपियों को छतरपुर की विशेष न्यायालय में पेश किया। जहां अदालत ने जमानत पर रिहाई का आदेश दिया है।

पिछले महीने 11 फरवरी को बागेश्वर धाम के महंत धीरेंद्र शास्त्री के भाई सालिग्राम का एक वीडियो चर्चा में आया था। जिसमें एक गांव में अहिरवार परिवार की बेटी की शादी में वह उपद्रव करते नजर आए थे। वीडियो के आधार पर छतरपुर जिले की बमीठा थाना पुलिस ने विवेचना की और फरियादी के बयान दर्ज किए। जिस आधार पर सालिग्राम गर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और परिवार के पूरक कथनों के आधार पर मामले में आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई गई।

मामला दर्ज होने के बाद से ही विभिन्न सामाजिक और राजनैतिक संगठन सालिग्राम की गिरफ्तारी की मांग उठाई। गुरुवार को पुलिस ने सालिग्राम सहित उसके साथी जीतेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। जिनके पास से देशी तमंचा भी जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों को छतरपुर की विशेष न्यायालय में पेश किया गया। साथ ही पुलिस ने प्रकरण के चालान (आरोपपत्र) भी पेश की। जानकारी अनुसार इस मामले में जमानत आवेदन पर फरियादी ने आपत्ति भी जिला अभियोजन अधिकारी के माध्यम से पेश की है। जमानत पर सुनवाई बाद आदेश का सभी को इंतजार था। विशेष न्यायालय ने सालीग्राम और जीतू तिवारी दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

पांच बाघिनों को चंद्रपुर से स्थानांतरित किया जाएगा

गोंडिया, 2 मार्च (भाषा)।

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से चार से पांच बाघिनों को अगले दस दिन में नवेगांव नागजीरा बाघ अभयारण्य (एनएनटीआर) में स्थानांतरित किया जाएगा और इस स्थानांतरण की तैयारी अंतिम चरण में है। वन विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

बुधवार को, प्रधान मुख्य वन संरक्षक महेप गुप्ता और वन संरक्षक एवं फील्ड निदेशक (एनएनटीआर) जयराम गौड़ा आर ने तैयारियों की समीक्षा के लिए क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण में, दो बाघिनों को स्थानांतरित किया जाएगा। नवेगांव नागजीरा बाघ अभयारण्य का मुख्य क्षेत्र 656 वर्ग किलोमीटर जबकि बफर क्षेत्र 1,200 वर्ग किलोमीटर है।

INDOSTAR HOME FINANCE PRIVATE LIMITED

Regd. Office: - Unit No. 305, 3rd Floor, Wing 2/E, Corporate Avenue, Andheri - Ghatkopar Link Road, Chakala, Andheri (East), Mumbai – 400093

अधिग्रहण सूचना

[नियम 8 (1) एवं (2)]

जबकि, यहां इसमें निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (अधिनियम) 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के (नियम 3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, एक मांग सूचना निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता(ओं) को सूचना में अंकित राषि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता(गण) निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं) को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, प्रत्येक संपत्ति के समक्ष अंकित तिथि पर, अधिग्रहण कर लिया है।

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

उधारकर्ता(ओं) को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां निम्नांकित एक राशि एवं इस राशि पर ब्याज हेतु इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता(गण) तथा संपत्ति विवरण	मांग सूचना की राशि एवं तिथि	अधिग्रहण की तिथि	अधिग्रहण की स्थिति
LNDEL0HL-07180004038, LNDEL0HL-07180004039,	1. सतीश चंद 2. आशा देवी	रु. 10,46,775/- (रुपये दस लाख छियालिस हजार सात सौ पिचहत्तर मात्र) दिनांक: 23/06/2022	02/03/2023	भौतिक अधिग्रहण

संपत्ति विवरण : फ्लैट नं. एफ–107 (जीएफ), खसरा सं. 18 में से, गली सं. 5, पूर्वी विनोद नगर, ग्राम– खिचड़ीपुर, इलाका शाहदरा, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, भारत–110091

चार परिसीमायें :– उत्तर– अन्य संपत्ति, दक्षिण– अन्य संपत्ति, पूर्व– अन्य संपत्ति, पश्चिम– सड़क।

स्थान : दिल्ली | हस्ता./–
दिनांक : 02–03–2023 | **प्राधिकृत अधिकारी**
इंडोस्टार होम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

वर्थाना फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड

varthana

(पूर्व में मै. थिरुमेनी फाइनांस प्राइवेट लि. विदित)

पंजीकृत कार्यालय : नंबर 5बीसी–110, वारासिद्धि, आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंग्लोर–560043, वेबसाइट www.varthana.com, ई–मेल : care@varthana.com, फोन: 080–68455777, शाखा कार्यालय : नं. 109, भूतल, टैगोर बिल्ला, चक्राता रोड, देहरादून 248001

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा मार्टगैजर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों जिसका मै. वर्थाना फाइनांस प्राईवेट लि., देहरादून (पूर्व में थिरुमेनी फाइनांस प्राईवेट लि.) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सांकेतिक कब्जा किया गया है, की नीचे वर्णित ऋण खाता के बकाये की वूसली के लिये ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर 13.04.2023 (गुरुवार) को 1.00 बजे अप. से 2.00 बजे अप. तक बिक्री की जाएगी। ऋणधारकों/मार्टगैजरों, प्रतिभूत परिसम्पत्तियों/देयताओं/आरक्षित मूल्य/नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी एवं बोली वृद्धि राशि का विवरण नीचे वर्णित है।

ऋणधारकों/मार्टगैजरों का नाम: 1. मै. शिवम एकेडमी, प्रति. द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, 2. मै. जय श्री कृष्णा ग्रामोत्थान समिति, प्रति. द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, 3. श्री कृष्ण पाल शर्मा, पुत्र धरमपाल शर्मा, 4. श्रीमती रीना, पत्नी कृष्ण पाल शर्मा,

ऋण खाता सं. S19DHD-DHD-006229, U20DHD-DHD-014625, U20DHD-DHD-014625, तथा **U22DHD-SWD-019869**

कुल बकाया राशि का विवरण रुपये में : रु. 63,99,619/– (रुपये तिड़ेसठ लाख निन्यानवे हजार छः सौ उन्नीस मात्र) 27.02.2023 को तथा सम्पूर्ण राशि की वसूली तक स्वीकृत अनुबंधित दर पर आगे का ब्याज एवं लीगल लागतों/चार्जेज

अचल सम्पत्ति का विवरण: ग्राम अन्नेकी हेत्तमपुर, परगणा रूड़की, तहसील एवं जिला हरिद्वार में स्थित सम्पत्ति खसरा नं. 1692 एम, खतौनी नं. 868, कुल भूमि एरिया माप 1136.198 का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहद्दी: पूर्वः कृष्ण पाल शर्मा की भूमि, पश्चिमः 40 फीट रोड, उत्तरः 20 फीट रोड, दक्षिणः 15 फीट रोड

अनुसूचित सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 30196800/– **(रु. तीन करोड़ एक लाख छियानवे हजार आठ सौ मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान (आरक्षित मूल्य का** 10% **ईएमडी) रु.** 3019680/– **(रु. तीन लाख उन्नीस हजार छः सौ अस्सी मात्र)**

ज्ञात अधिभारों, यदि कोई हो: शून्य

इच्छुक बोलीदाता 12.04.2023 (बुधवार) को 5.00 बजे अप. या उसके पूर्व देहरादून में देय **''मै. वर्थाना फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड''** के पक्ष में देय किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर द्वारा ईएमडी राशि साथ केवाईसी दस्तावेजों (पैन कार्ड तथा आधार/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाईसेंस) तथा रु.1000/– की अप्रतिदेय निविदा शुल्क जमा कर सकते हैं।

यह नीलामी **मै. वर्थाना फाइनांस प्रा. लि.** 109, भू तल, टैगोर विला, चक्राता रोड, देहरादून 248001 में 13.04.2023 (गुरुवार) को 1.00 बजे अप. से 2.00 बजे अप. तक आयोजित की जाएगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.varthana.com देखें। संभावित बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी श्री मित्तिन कक्कर–फोन नं. 8685050505 तथा श्री रमण अरोड़ा–फोन नं. 7827926395 से अधिक विवरणों/जानकारी के लिये सम्पर्क कर सकते है।

तिथि: 03.03.2023 **स्थान: बैंग्लोर** | **प्राधिकृत अधिकारी वर्थाना फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड**

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

.....भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon! (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

मण्डल शस्त्रा केन्द्र, दक्षिणी दिल्ली, 7, **भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली –110066**
फोन: 011-47519273 ई–मेल : cs4168@pnb.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)
प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत **पंजाब नैशनल बैंक,** मण्डल शस्त्रा केन्द्र, दक्षिणी दिल्ली, **भीकाजी कामा प्लेस** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **उधारकर्ता/गारंटर्स/बंधककर्ता मैसर्स आशीर्वाद सेनीटेशन्स् प्रा. लि.,** श्रीमती संजुक्ता स्यैन, अजितेश प्रधान और प्रेरणा बडोनी को मांग नोटिस दिनांक **19.11.2022** को जारी किया था, जिसमें बकाया राशि रू. **27,22,313.00** (रु. सत्ताईस लाख बाईस हजार तीन सौ तेरह मात्र) दिनांक 31.10.2022 तक और साथ में आकिस्मक प्रभार, लागत, प्रज्ञार इत्यादि सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ता/गारंटर्स/बंधककर्ता उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा **उधारकर्ता/गारंटर्स/बंधककर्ता** तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर दिनांक **01.03.2023** को कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता/गारंटर्स/बंधककर्ता को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्तियों के साथ लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **पंजाब नैशनल बैंक, के प्रभार वास्ते बकाया राशि** रू. **27,22,313.00** (रु. सत्ताईस लाख बाईस हजार तीन सौ तेरह मात्र) दिनांक 31.10.2022 तक और साथ में आकिस्मक प्रभार, लागत, प्रज्ञार इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ता/गारंटर्स/बंधककर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट नं. 9बी, प्रथम तल, डीडीए निर्मित जनता फ्लैट, क्षेत्रफल 27.00 वर्ग मी., रिहायशी कॉलोनी जिसे अब शाहपुर जट कहते है, नई दिल्ली–110049 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती आशा प्रधान और श्रीमती संजुक्ता सयैन के नाम पर है। चौहदी : उत्तर–पूरब में – रिहायशी फ्लैट, दक्षिण–पूरब में – रिहायशी फ्लैट, दक्षिण–पश्चिम में – फ्लैट नं. 10बी, उत्तर–पश्चिम में – प्रवेश

दिनांक : 01.03.2023, स्थान : नई दिल्ली | प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

PEGASUS

55–56, 5वां तल, फ्री प्रेस हाउस, नरीमन प्वाइन्ट, मुम्बई – 400021
फोन नं. : 022–61884700, ईमेल: sys@pegasus-arc.com
URL: www. pegasus-arc.com

ई–नीलामी के लिये सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के अंतर्गत अचल सम्पत्ति की बिक्री

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गारंटरो को सूचित किया जाता है कि पेगासस ग्रुप थर्टी नाइन ट्रस्ट (पेगासस) के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत पेगासस एसेट्स री–कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के रूप में प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी (प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति को सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत एसाइन्मेन्ट अनुबंध तिथि 30.09.2021 के माध्यम से आरबीएल बैंक लि. द्वारा अधोलिखित प्रतिभूति हित के साथ नीचे वर्णित ऋणधारक के बकायों के साथ पेगासस को सौंपा गया था।

उक्त एसाइन्मेन्ट अनुबंध के आलोक में प्रतिभूत क्रेडीटर के रूप में पेगासस एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 30.9.2022 को नीचे वर्णित गिरवी सम्पत्ति का कब्जा किया गया तथा उसके निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, श्री अभिषेक कुमार, श्री समीर सोहनी तथा श्रीमती सुमित्रा सोहनी के माध्यम से मै० जॉन बैकरीज प्रा. लि. से पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. के बकाये उसकी वसूली तक अनुबंधित दर पर 01.03.2023 से ब्याज तथा लागतों, चार्जेज तथा खर्चे के साथ धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसार 12.5.2021 को रु. 1,13,99,876.02 [28.02.2023 को रु. 1,47,08,132.66 (रु. एक करोड़ सैंतालिस लाख आठ हजार एक सौ बत्तीस एवं पैसे छियासठ मात्र) की वसूली के लिये ''जैसा है जहाँ है'', जो भी है वहां है'' तथा ''जो भी जैसा है आधार'' पर 22.03.2023 को बिक्री की जाएगी। यदि ऋणधारक/सह–ऋणधारक/मार्टगैजर्स प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री से पूर्व किसी भी समय पेगासस को लागतों, चार्जेज तथा वहन की गई खर्चे के साथ सम्पूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर देते है तो बिक्री संचालित नहीं की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 1,35,10,000/– (रु. एक करोड़ पैंतीस लाख दस हजार मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 13,51,000/– (रु. तेरह लाख इक्यावन हजार मात्र) होगी।

ऋणधारक/सह–ऋणधारक गारंटर का नाम,	1. मै. जॉन बैकरीज प्रा.लि., द्वारा उसके निदेशक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, 2. श्री अभिशेक कुमार, 3. श्री समीर सोहनी, 4. श्रीमती सुमित्रा सोहनी
बकाया देयता	धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी सूचना के अनुसार 12.5.2021 को रु. 1,13,99,876.02/– (रु. एक करोड़ तेरह लाख निन्यानवे हजार आठ सौ छियत्तर एवं पैसे दो मात्र) [28.02.2023 को रु. 1,47,08,132.66 (रु. एक करोड़ सैंतालिस लाख आठ हजार एक सौ बत्तीस एवं पैसे छियासठ मात्र) के साथ अनुबंधित दर पर 01.03.2023 से ब्याज, लागत, चार्जेज तथा वसूली तक उस पर खर्चे।
अचल सम्पत्ति का विवरण	उसके अनुषांगिक सभी अधिकारों तथा ईजीमेन्ट्स के साथ उस पर विद्यमान तथा निर्मित होने वाली सभी भवनों, निर्माणों, सुपरस्ट्रक्चर्स, फिक्चर्स एवं फिटिंग्स के साथ प्लॉट नं. जीएच–11 एवं पीएल 10, अहिंसा खंड– II, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित साया जेड (साया जेनिथ के रूप में विदित ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लैक्स में स्थित टावर–ए में अपार्टमेन्ट नं. ए/1305, 13वां तल, सुपर एरिया माप 200.664 वर्ग मी. (2160 वर्ग फीट) का सभी भाग तथा हिस्सा।
आरक्षित मूल्य	रु. 1,35,10,000/–
धरोहर राशि भुगतान (आरक्षित मूल्य का 10%)	रु. 13,51,000/–
सम्पत्ति पर रखी गई दावे, यदि कोई हो तथा प्रतिभूत क्रेडीटर को ज्ञात अन्य देयताओं तथा मूल्य	ज्ञात नहीं
सीईआरएसएआई आईडी	प्रतिभूति हित आईडी : 4000017819297 परिसम्पत्ति आईडी : 200017779939
सम्पत्ति का निरीक्षण	20.03.2023 को 20.03.2023 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. सम्पर्क अधिकारी : 1)श्रीमती प्रियंका नारंग (प्राधिकृत अधिकारी) @8586924085, 2) श्री सुरेन्दर सिंह @8947960010
बोली/बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि	21.03.2023 के 4.00 बजे अप. में
बोली खुलने का समय तथा स्थान	22.03.2023 को 11.00 बजे पूर्वाः से 1.00 बजे अप. तक वेबसाईट (https://sarfaesi.auctiontiger.net) के द्वारा ई–नीलामी/बोली

यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अंतर्गत उपरोक्त ऋणधारकों/मार्टगैजरों के लिए 15 दिनों की सूचना है।

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाइट में दी गई लिंक अर्थात https://www.pegasus-arc.com/assests-to-auction.html को ई–नीलामी में भागीदारी के लिए अपनी बोली जमा करने से पूर्व देखें। बोलीदाता वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net भी देख सकते हैं अथवा सेवा प्रदाता मै. ई प्रॉक्योमेंन्ट टेक्नोलॉजीज लि., ऑक्शन टाइगर, बिडर सपोंट : 079–68136805/68136837, मो. : +91997859188, ईमेल : ramprasad@auctiontiger.net तथा support@auctiontiger.net से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

स्थान : गाजियाबाद | प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 03.03.2023 | **पेगासस एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड**
(पेगासस ग्रुप थर्टी–नाइन ट्रस्ट टू के ट्रस्टी)

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी की सार्वजनिक सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमे इसके उपरान्त ''अधिनियम'') के अंतर्गत, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) निगमित कार्यालयः भूखण्ड सं. 98, उद्योग विहार, फेज–IV, गुड़गांव–122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालयः ए–1सी एवं ए–1डी, द्वितीय तल, नोएडा सेक्टर–16, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर–201301 के पास बंधककृत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल–एचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी (''एओ'') ने, आईआईएफएल–एचएफएल की देयराषियों की वसूली हेतु, निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का ''जैसी हैं जहां हैं आधार एवं जैसी हैं जो हैं आधार'' पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों/प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनका अधिग्रहण कर लिया था। विक्रय जो है, वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई–नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।

ऋणकर्ता(ओं)/ सह–ऋणकर्ता (ओं)/गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना तिथि एवं राशि	अचल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का विवरण	भौतिक अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित मूल्य	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि
1. श्री सौरभ जैन 2. श्रीमती शालू जैन (प्रोस्पेक्ट नं. 734287)	27 जनवरी 2020 रु. 50,93,801/- (रुपये पचास लाख तिरानबे हजार आठ सौ एक मात्र)	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो फ्लैट सं. टी–1–0304, लेक साइड हाईट्स, लेक ग्रोव सिटी, कुंडली सोनीपत, 131001, सोनीपत, हरियाणा, भारत में स्थित है (अधि निर्मित क्षेत्राधिमापन 1590 वर्ग फुट)	25 नवंबर 2022 तिथि 06 फरवरी 2023 के अनुसार कुल बकाया रु. 55,32,249/- (रुपये पचपन लाख बत्तीस हजार दो सौ उनचास मात्र)	रु. 51,60,000/– (रुपये इक्यावन लाख साठ हजार मात्र) धरोहर राशि जमा (धराज) रु. 5,16,000/– (रुपये पांच लाख सोलह हजार मात्र)	05 अप्रैल 2023 11.00–14.00 बजे धराज अंतिम तिथि 10 अप्रैल 2023 को 5 बजे तक ई–नीलामी की तिथि/समय 12 अप्रैल 2023 11.00–13.00 बजे
बोली वृद्धि राशि रु. 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र)					

भुगतान का माध्यम: सभी भुगतान ''आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड'' के पक्ष में आहरित गुरुग्राम में भुगतेय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से किए जाएंगे। खातों के विवरण इस प्रकार हैं: क) खाता का नामः– आईआईएफएल होम फाइनेंस लि., ख) बैंक का नाम – स्टैंडर्ड चार्टड बैंक लि., ग) खाता सं.: 9902879, उसके बाद लोन नंबर, घ) आईएफएससी कोडः SCBL0036001, ड.) बैंक पता : स्टैंडर्ड चार्टड बैंक, 90 एम.जी. मार्ग, फोर्ट, मुंबई–400001

नियम एवं शर्तें:–

1. ई–नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छुक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के साथ पंजीकृत कर लें और उन्हें इस हेतु लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सृजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने ''निविदा प्रपत्र'', धराज के भुगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत/प्रेषित करने होंगे।
2. बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को, स्तंभ ''बोली वृद्धि राषि'' के अंतर्गत अंकित राषि के गुणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जाता है तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ़ जाएगा।
3. सफल बोलीदाता को बोली राषि की 25 प्रतिषत राषि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राषि की शेष 75 प्रतिषत रकम प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपुष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भुगतान जो हैं, वो भुगतान के निर्धारित प्रारूप के तहत किए जाएंगे।
4. क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराषि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्युत प्रभारों, भूमि एवं समस्त अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों का भुगतान वहन करना होगा।
5. बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई–नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र हेतु वेबसाइट https: //bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देख लें।
6. विवरणों, सहायता प्रक्रिया तथा ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रषिक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं, वे सेवा प्रदाता से ई–मेल आईडी support@bankeauctions.com सहायता हेल्पलाइन नंबर्स: @7291981124/25/26 पर संपर्क कर सकते हैं।
7. सम्पत्ति विवरणों, संपत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन बोली इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रश्न/पूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल को टोल फ्री नं. 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार के मध्य प्रातः 9.30 बजे से लेकर के सायं 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई–मेलः auction.hl@iifl.com पर मेल लिखें।
8. एतद्द्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उन घरेलू वस्तुओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें, जो भौतिक आधिपत्य लिए जाने के समय पर प्रतिभूत परिसम्पत्ति स्थल पर पड़ी हुई होंगी, अन्यथा आईआईएफएल–एचएफएल किसी भी परिस्थिति में सम्पत्ति की किसी हानि हेतु उत्तरदायी नहीं होगी।
9. आगे ऋणकर्ता/ओं को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि वे उपरोक्त कथित वस्तुओं को एकत्र करने में विफल रहते हैं, तो वस्तुओं को विधि–व्यवस्था के अनुसार बेच दिया जाएगा।
10. उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चुकता की गई राषि (धराज सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा।
11. एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा/नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं निविदा/नीलामी में किसी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल–एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा।

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

ऋणकर्ता को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानुसार राषि का अद्यतनीकृत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भुगतान कर दें भुगतान करने में विफल रहने पर, सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी/उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराषियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी

स्थान : सोनीपत, दिनांक : 03–03–2023 | हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA

विजया VIJAYA | देना DENA

शाखा:– संजय प्लेस 85/4, इस्पास भवन, आगरा–282002
E-mail: sanjay@bankofbaroda.co.in

(अचल सम्पत्तियों का कब्जा नोटिस)(अचल सम्पत्तियों हेतु धारा 8(1) के अन्तर्गत)

यघपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुर्नसरचना तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 के तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रभावीकरण) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने विभिन्न बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारन्टरों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणियों एवं गारन्टरों को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं नियमों के उपनियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया है। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के संबन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है। एतद्द्वारा ऋणियों/गारन्टरों का विशेषतः और जन साधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्